सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2021/63(29/2021) दर्ज तिथिः–01.03.2021

1. कुसुम्बीदेवी पुत्री सोना पत्नी शिवजीराम
   निवासी हेराज का गोल तहसील गुड़ामालानी हाल निवासी मूढसर कोठाला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. भारू पुत्र सोना के कायम मुकाम
   हेमीदेवी पत्नी भारू
   जाति भांभी निवासी हेराज का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. केसी पुत्री सोना पत्नी वीराराम
   जाति भांभी निवासी डावल तहसील सांचौर
3. हाउ पुत्री सोना पत्नी नेताराम
   जाति भांभी निवासी मुढसर कोठाला तहसील धोरीमन्ना
4. दीपाराम पुत्र पूनमाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1 लेहरो पुत्री दिपा
   4/2 चुन्नी पुत्री दिपा
   4/3 शांति पुत्री दिपा
   4/4 ओमी पुत्री दिपा
5. गोकलाराम पुत्र पुनमाराम
6. देवाराम पुत्र चैनाराम
7. भवराराम पुत्र चैनाराम
8. मगाराम पुत्र चैनाराम
9. नैनाराम पुत्र चैनाराम
10. परभू पुत्र गगाराम
11. अरजन पुत्र गंगाराम
12. बाका पुत्र गुणेशा फौत के कायम मुकाम
    12/1 लिखमा पुत्र बाका
    12/2 खरता पुत्र बाका
    12/3 ममता पुत्री बाका
    12/4 प्रकाश पुत्र बाका
    12/5 केली पुत्री बाका
    12/6 अणछी पुत्री बाका
    12/7 नोजी पुत्री बाका
    जाति मेगवाल निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

13. मोहनराम पुत्र नेताराम
    जाति मेगवाल निवासी मूढसर कोठाला तहसील धोरीमन्न जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

14. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे विलय हाल एसबीआई गुड़ामालानी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—07.07.2025

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः—
    - कि आराजी खसरा संख्या 142/53/6.16 बीघा मौजा हेराज का गोल पटवार मण्डल पीपराली, खसरा संख्या 13/29.04 बीघा, 13/2/11.00 बीघा मौजा चकगुड़ा पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीनी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गंगा के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
    - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गंगा के छः पुत्र गुणेशा पुत्र गंगा, पुनमा पुत्र गंगा, सोना पुत्र गंगा, चेना पुत्र गंगा, प्रभू पुत्र गंगा एवं अर्जुन पुत्र गंगा थे। सोना पुत्र गंगा के फौत होने पर उनके एक पुत्र भारू पुत्र सोना एवं तीन पुत्रियां केसीदेवी पुत्री सोना, हाउ पुत्री सोना एवं कुसुम्बी पुत्री सोना वारिस हैं।
    - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अपने पूर्वज सोना पुत्र गंगा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता सोना पुत्र गंगा के 5/6 हिस्से में वादीनी एवं प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 1/24—1/24 हिस्सा कानूनन निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

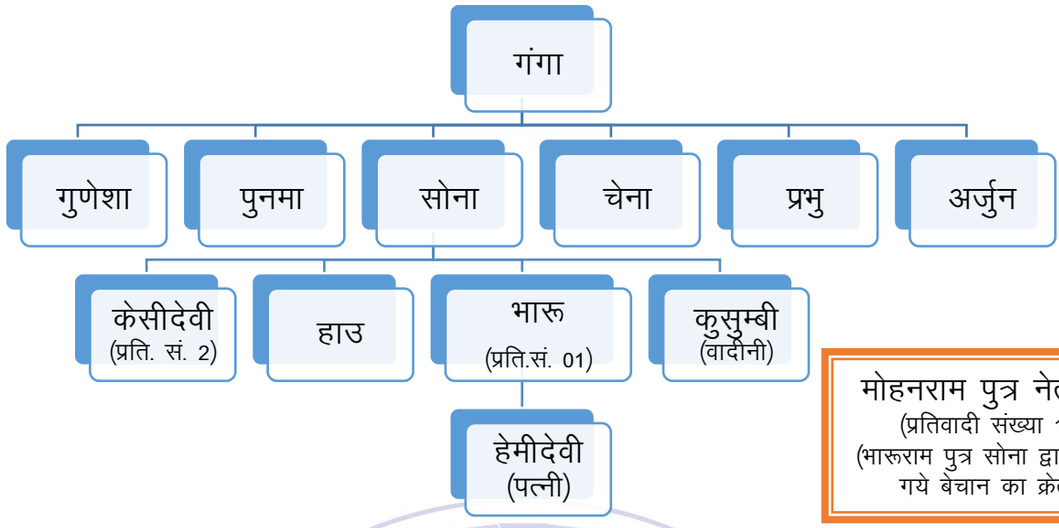

- कि वादीनी के पिता सोना पुत्र गंगा का देहांत होने पर फौतगी नामांतरकरण 56 ग्राम पंचायत पीपराली द्वारा केवल प्रतिवादी संख्या 01 भारू पुत्र सोना के नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया तथा वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 अपनी उक्त पैतृक आराजी में अपने हक हिस्से 1/24 से वंचित कर दिया।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा दिनांक 02.12.2020 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 02.12.2020 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 02.12.2020 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के अपने पूर्वज सोना के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस कारण उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 13 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमदा है। प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण अवैध रूप से कब्जा प्राप्ति के कारण प्रतिवादी संख्या 13 का कब्जा अतिक्रमण माना जाकर प्रतिवादी संख्या 13 को अतिक्रमी माना जाएगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

- कि बयनामा दिनांक 02.12.2020 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 02.12.2020 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 02.12.2020 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।
- कि प्रतिवादी संख्या 13 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतू आमदा है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 13 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमादा है। इस प्रकार वादीगण को उक्त दावा हेतु बिनायदावा उत्पन्न हुआ है।
- कि वादीगण के उक्त आधारों पर निम्न अनुतोष निवेदित हैः—
    1. उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण संख्या 01 का 1/24 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।
    2. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 02.12.2020 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।
    3. वादीगण के हिस्सों के अतिरिक्त प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिस्से की भूमि का वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 01 के स्व0 सोना पुत्र गंगा के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के आधार पर घोषित हिस्सा का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
    4. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
    5. अन्य अनुतोष।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02, 05, 07, 09, 10 व 11 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02, 05, 07, 09, 10 व 11 असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 02, 05, 07, 09, 10 व 11 ने वादीगण के दावा का ईकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा पेश कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—
    - कि वाद वर्णित अनुतोष सही होने से अनुतोष स्वीकार कर वादीनी का पैतृक आराजी में 1/24 वां हिस्सा घोषित किया जावे।
    - उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 का भी साथ वादीगण संख्या 01 के साथ 1/24 हिस्सा घोषित किया जाकर सहखातेदार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

- प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 02.12.2020 प्रतिवादी संख्या 02 के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया वादीनी ग्राम हेराज का गोल पटवार क्षेत्र पीपराली के खेत खसरा संख्या 142/53 रकबा 6—16 बीघा एवं ग्राम चकगुड़ा पटवार क्षेत्र आलपुरा के खेत खसरा संख्या 13 रकबा 29—04 बीघा, खसरा संख्या 13/2 रकबा 11—00 बीघा की भूमि में 1/24 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी हैं ?*

.....वादीनी

2. *आया वादीनी जिन विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बेचान किये गये हैं। वे बेचान वादीनी के हकूकों की सीमा तक शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने की अधिकारी हैं ?*

.....वादीनी

3. *आया प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम हेराज का गोल पटवार क्षेत्र पीपराली के खेत खसरा संख्या 142/53 रकबा 6—16 बीघा एवं ग्राम चकगुड़ा पटवार क्षेत्र आलपुरा के खेत खसरा संख्या 13 रकबा 29—04 बीघा, खसरा संख्या 13/2 रकबा 11—00 बीघा की भूमि में 1/24 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी हैं ?*

.....प्रतिवादी संख्या 02

4. *आया प्रतिवादी संख्या 02 जिन विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बेचान किये गये हैं। वे बेचान वादीनी के हकूकों की सीमा तक शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाने की अधिकारी हैं ?*

.....प्रतिवादी संख्या 02

5. *अन्य दादरसी*

.....उभयपक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 43 सम्वंत 2073—2076	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 49 सम्वंत 2073—2076	प्रदर्श—02
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 56 ग्राम पंचायत पीपराली	प्रदर्श—03
नामांतरकरण	नामांतरकण संख्या 253 ग्राम चकगुड़ा	प्रदर्श—04
बयनामा	पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020	प्रदर्श—05
—	आधार कार्ड कुसुम्बी देवी पत्नी शिवजीराम	प्रदर्श—06
नक्शा ट्रेस	खसरा संख्या 13 व 13/2 मौजा चकगुड़ा	प्रदर्श—07

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा ट्रेस	खसरा संख्या 142/53 मौजा हेराज का गोल	प्रदर्श–08

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
कुसुम्बी पुत्री सोनाराम	भांभी	हेराज का गोल	पी0डब्ल्यू0–1
शिवजीराम पुत्र ताजाराम	भांभी	हेराज का गोल हाल मूंढसर तहसील धोरीमन्ना	पी0डब्ल्यू0–2
भंवराराम पुत्र उदाराम	मेगवाल	हेराज का गोल	पी0डब्ल्यू0–03
गोरधनराम पुत्र चम्पाराम	मेगवाल	हेराज का गोल	पी0डब्ल्यू0–04

6. प्रकरण में कुसुम्बी पुत्री सोनाराम पी.डब्ल्यू.–01 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि आराजी खसरा संख्या 142/53/6.16 बीघा मौजा हेराज का गोल पटवार मण्डल पीपराली, खसरा संख्या 13/29.04 बीघा, 13/2/11.00 बीघा मौजा चकगुड़ा पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीनी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गंगा के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गंगा के छः पुत्र गुणेशा पुत्र गंगा, पुनमा पुत्र गंगा, सोना पुत्र गंगा, चेना पुत्र गंगा, प्रभू पुत्र गंगा एवं अर्जुन पुत्र गंगा थे। सोना पुत्र गंगा के फौत होने पर उनके एक पुत्र भारू पुत्र सोना एवं तीन पुत्रियां केसीदेवी पुत्री सोना, हाउ पुत्री सोना एवं कुसुम्बी पुत्री सोना वारिस हैं।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अपने पूर्वज सोना पुत्र गंगा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता सोना पुत्र गंगा के 5/6 हिस्से में वादीनी एवं प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 1/24–1/24 हिस्सा कानूनन निहित है।
- कि वादीनी के पिता सोना पुत्र गंगा का देहांत होने पर फौतगी नामांतरकरण 56 ग्राम पंचायत पीपराली द्वारा केवल प्रतिवादी संख्या 01 भारू पुत्र सोना के नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया तथा वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 अपनी उक्त पैतृक आराजी में अपने हक हिस्से 1/24 से वंचित कर दिया।
- कि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। उक्त बयनामा दिनांक 02.12.2020 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 02.12.2020 से पाबंद व जिम्मेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 02.12.2020 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। इस आधार पर वादीगण अपने हिस्से की पैतृक भूमि में घोषणा करवाने के अधिकारी है।

- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के अपने पूर्वज सोना के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस कारण उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विभाजन, बिना सहदायकों की सहमति के बयनामा दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा निष्पादित करवाने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 13 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतु आमदा है। प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण अवैध रूप से कब्जा प्राप्ति के कारण प्रतिवादी संख्या 13 का कब्जा अतिक्रमण माना जाकर प्रतिवादी संख्या 13 को अतिक्रमी माना जाएगा।
- कि बयनामा दिनांक 02.12.2020 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 02.12.2020 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 02.12.2020 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।
- कि प्रतिवादी संख्या 13 एक अजनबी क्रेता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के एक अजनबी क्रेता होने के कारण उक्त आराजी पर कब्जा करने हेतू आमदा है। उक्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का कब्जा है। एक सहदायक का कब्जा सभी सहदायकों का कब्जा माना जाता है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- कि जमाबंदी खाता संख्या 43 सम्वंत 2073–2076 प्रदर्श–01, जमाबंदी खाता संख्या 49 सम्वंत 2073–2076 प्रदर्श–02, नामांतरकरण संख्या 56 ग्राम पंचायत पीपराली प्रदर्श–03, नामांतरकण संख्या 253 ग्राम चकगुड़ा प्रदर्श–04, पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 प्रदर्श–05, आधार कार्ड कुसुम्बी देवी पत्नी शिवजीराम प्रदर्श–06, नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 13 व 13/2 मौजा चकगुड़ा प्रदर्श–07, नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 142/53 मौजा हेराज का गोल प्रदर्श–08 पेश किये हैं। उपरोक्त बेचान के मार्फत वादीगण के हक की भूमि गलत रूप से बेची गई है। जिस पर वादीगण का कब्जा है।

7. प्रकरण में कुसुम्बी पुत्री सोनाराम पी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि उक्त आराजी पैतृक आराजी है। यह कहना सही है कि उक्त आराजी पूर्व में गंगा के नाम थी। गंगा के बाद में सोना के नाम आई। सोना मेरे पिता लगते हैं। उक्त विवादग्रस्त आराजी 03 खसरे आए हुए हैं। उक्त विवादग्रस्त आराजी में मेरा 1/24 वां हिस्सा आया हुआ

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

है। यह कहना सही है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी हेराज का गोल में आई हुई है। यह कहना सही है कि उक्त आराजी पर मेरा 1/24 वां हिस्सा पर कब्जा है, जिस पर मैं काश्त करती हूं।

8. प्रकरण में शिवजीराम पुत्र ताजाराम पी.डब्ल्यू–02 ने द्वारा चीफ प्रस्तुत कर कथन किया कि मैं वादीनी का पति हूं। वादीनी की पुश्तैनी जमीन मौजा हेराज का गोल में खेत खसरा संख्या 142/53 तथा मौजा चकगुड़ा खसरा संख्या 13 व 13/2 के आए हुए हैं। उक्त तीनों खेत वादीनी के बापौती के हैं। तीनों खेतों में वादनी का 1/24 वां हिस्सा हैं। वादीनी के साथ मैं भी इस खेत में काश्त करता हूं। वादीनी का भाई भारू इस संसार में नहीं है। मेरे दो साली हैं। जिनका नाम केशी व हाऊ है। वादीनी का वादग्रस्त जमीन में 1/24 वां हिस्सा घोषित किया जावे। प्रतिवादी 01 के हिस्से से अधिक बेचान वादीनी के हिस्से तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

9. प्रकरण में शिवजीराम पुत्र ताजाराम पी.डब्ल्यू–02 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में समान रूप से अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि उक्त आराजी वादीनी कसुम्बी की पैतृक आराजी आई हुई है। उक्त विवादग्रस्त आराजी में दो खसरे आए हुए हैं। एक खसरा चकगुड़ा में व एक खसरा हेराज का गोल में आया हुआ है।

10. प्रकरण में भंवराराम पुत्र उदाराम पी.डब्ल्यू.–03 एवं गोरधनराम पुत्र चम्पाराम पी. डब्ल्यू.–04 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–
    - कि आराजी खसरा संख्या 142/53/6.16 बीघा मौजा हेराज का गोल पटवार मण्डल पीपराली, खसरा संख्या 13/29.04 बीघा, 13/2/11.00 बीघा मौजा चकगुड़ा पटवार हल्का आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीनी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गंगा के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
    - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज गंगा के छः पुत्र गुणेशा पुत्र गंगा, पुनमा पुत्र गंगा, सोना पुत्र गंगा, चेना पुत्र गंगा, प्रभू पुत्र गंगा एवं अर्जुन पुत्र गंगा थे। सोना पुत्र गंगा के फौत होने पर उनके एक पुत्र भारू पुत्र सोना एवं तीन पुत्रियां केसीदेवी पुत्री सोना, हाउ पुत्री सोना एवं कुसुम्बी पुत्री सोना वारिस हैं।
    - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 अपने पूर्वज सोना पुत्र गंगा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के पिता सोना पुत्र गंगा के 5/6 हिस्से में वादीनी एवं प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 1/24–1/24 हिस्सा कानूनन निहित है।
    - कि वादीनी वर्षा के मौसम में अपने पिता के साथ काश्त करती रहती है। वादीनी के पिता सोना का देहांत सन 1990 में हो गया था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीनी के पिता सोना पुत्र गंगा का देहांत होने पर फौतगी नामांतरकरण 56 ग्राम पंचायत पीपराली द्वारा केवल प्रतिवादी संख्या 01 भारू पुत्र सोना के नाम विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया तथा वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 अपनी उक्त पैतृक आराजी में अपने हक हिस्से 1/24 से वंचित कर दिया।
- कि बयनामा दिनांक 02.12.2020 में वादीगण के पक्षकार नहीं होने के कारण वादीगण उक्त बयनामा दिनांक 02.12.2020 से पाबंद व जिम्मेदार नहीं है। इस कारण वादीगण उक्त विवादित बयनामा दिनांक 02.12.2020 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।

11. प्रकरण में भंवराराम पुत्र उदाराम पी.डब्ल्यू.–03 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि कुसुम्बी सोनाराम की पुत्री है। यह कहना सही है कि विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। यह जमीन सोनाराम को विरासत में मिली है। कुसुम्बी तीन बहनें एवं एक भाई है। कुसुम्बी, केसी, हाउ व एक भाई भारू है। भारू के कोई औलाद नहीं है। कुसुम्बी हेराज को गोल रहती है। अस्थाई निवास स्थान है। कभी–कभार ससुराल से आना जाना रहता है। विवादग्रस्त आराजी हेराज का गोल खसरा संख्या 142/53 रकबा 6.16 बीघा का आयी हुई है। मौजा चकगुड़ा में खसरा संख्या 13 रकबा 29.04 बीघा 13/2 रकबा 11 बीघा का आया हुआ जो बापौती है।

12. प्रकरण में गोरधनराम पुत्र चम्पाराम पी.डब्ल्यू.–04 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में मान रूप से अभिकथन किया कि यह बात सही है कि कुसुम्बी सोना की पुत्री है। यह कहना सही है कि वादीनी इसी खेत में रहती है। यह कहना सही है कि यह जमीन कुसुम्बी की बापौती जमीन है। कुसुम्बी मेरी काके की बेटी बहन है। यह कहना सही है कि प्रतिवादी भारू के कोई जायंदा औलाद नहीं है।

13. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
केशी पुत्री सोनाराम	मेगवाल	हेराज का गोल	डी0 डब्ल्यू–01
शंकराराम पुत्र वीराराम	मेगवाल	डावल	डी0 डब्ल्यू–02
पदमाराम पुत्र प्रभुराम	मेगवाल	पीपराली	डी0 डब्ल्यू–03

14. प्रकरण में केशी पुत्री सोनाराम डी0डब्ल्यू0–01 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर कथन किया–
    - कि मैं व वादीनी गंगा की पोतीयां हैं। मेरी बापौती जमीन गांव हेराज का गोल में खसरा संख्या 142/53 जो 06 बीघा 16 बिस्वा का व में खसरा संख्या 13 जो 29 बीघा 04 बिस्वा में 13/2 जो 11 बीघा का आया हुआ है। जिसमें मेरा 1/24 वां बंट है। मेरा ससुराल डावल सांचौर में है तथा मैं यहां पर भी रहती हूं। मेरे पिता 1990 में फौत हुए थे। जिनका फौतगी नामांतरकरण मेरे भाई भारू अकेले के नाम से खोला गया था। जिसकी जानकारी मैं अनपढ होने से नहीं हो सकी। उपरोक्त खसरों में मेरा 1/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

वां हिस्सा घोषित किया जावे तथा मेरे भाई से बीमारी का फायदा उठाकर हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान किया गया है। उक्त बेचान मेरे हक हिस्से तक निष्प्रभावी घोषित किया जावे।

15. प्रकरण में केशी पुत्री सोनाराम डी0डब्ल्यू0–01 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि यह कहना सही है कि मैं हिन्दु हूं। यह कहना सही है कि जमीन मेरे परदादा से मेरे दादा गंगा को विरासत में मिली। यह कहना सही है कि मेरा भाई इस संसार में नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे भतीजे नहीं है। यह कहना सही है कि मेरा भाई लाऔलाद फौत हुआ है।

16. प्रकरण में शंकराराम पुत्र वीराराम जाति मेगवाल निवासी डावल डी0डब्ल्यू0–02 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर कथन किया–
    - कि मैं सोनाराम का दोहिता हूं। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 सोनाराम के वारिसान हैं। गांव हेराज का गोल व चकगुड़ा में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की बापौती जमीन आई हुई है। जिसमें वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का बराबर हक है। जो गंगा की पोतीयां व पोता हैं। इन खसरों में ओर भी सह खातेदार है। जो गंगा का परिवार है। दोनों गांवों की जमीन में सोना का 1/6 हिस्सा है। उस हिस्से में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का बराबर बंट है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 प्रत्येक का 1/24–1/24 वां हिस्सा बापौती है।

17. प्रकरण में शंकराराम पुत्र वीराराम जाति मेगवाल निवासी डावल डी0डब्ल्यू0–02 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि जमीन प्रतिवादी 02 के परदादा से मेरे दादा गंगा को विरासत में मिली। यह कहना सही है कि मेरा मामा इस संसार में नहीं है। यह कहना सही है कि मेरा मामा लाऔलाद फौत हुआ है।

18. प्रकरण में पदमाराम पुत्र प्रभुराम जाति मेगवाल निवासी पीपराली डी0डब्ल्यू0–03 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर कथन किया–
    - कि मैं सोनाराम के परिवार को भलीभाति जानता हुं हर छोटे मोटे काम में शरिक होता हूं सोनाराम समेत 6 भाई है। गांव हेराज का गोल व चकगुडा में 2 खेत आये हुये है। जो करीव 7 साटीगढ है। इसमें प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24वां हिस्सा कि हकदार है। 24वें बट पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जाकास्त है। जिसमें वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का बराबर हक है। जो गंगा की पोतीयां व पोता हैं। इन खसरों में ओर भी सह खातेदार है। जो गंगा का परिवार है। दोनों गांवों की जमीन में सोना का 1/6 हिस्सा है। उस हिस्से में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का बराबर बंट है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 प्रत्येक का 1/24–1/24 वां हिस्सा बापौती है।

19. प्रकरण में पदमाराम पुत्र प्रभुराम जाति मेगवाल निवासी पीपराली डी0डब्ल्यू0–03 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि जमीन प्रतिवादी संख्या 02 के परदादा से दादा गंगा को विरासत में मिली है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

20. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया। प्रकरण में असल प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

21. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम प्रथम तनकी के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैः—

    1. *आया वादीनी ग्राम हेराज का गोल पटवार क्षेत्र पीपराली के खेत खसरा संख्या 142/53 रकबा 6—16 बीघा एवं ग्राम चकगुड़ा पटवार क्षेत्र आलपुरा के खेत खसरा संख्या 13 रकबा 29—04 बीघा, खसरा संख्या 13/2 रकबा 11—00 बीघा की भूमि में 1/24 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी हैं ?*

22. प्रथम अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रथम अनुतोष सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 से संबंधित है। उक्त अनुतोष के अवलोकन से अनुतोष में समाहित अनेक पक्ष व बिंदु सामने आते है। अतः उक्त अनुतोष का निर्णयन किये जाने से पूर्व अनुतोष में समाहित अनेक निम्न पक्ष व बिंदुओं का निर्धारण किया जाना अपेक्षित हैः—

    1. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होना।*
    2. *मुतनाजा आराजी का पैतृक संपति होना।*
    3. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 के तहत सहदायक होना।*
    4. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 के तहत सहदायक होने के आधार पर अधिकार निहित होना।*
    5. *प्रतिवादी संख्या 01 का अपने परिवार के कर्ता/मुखिया होना।*
    6. *प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बेचान दिनांक 02.12.2020 विधिक आवश्यकताओं के लिए किया गया होना।*

23. प्रकरण में प्रथम अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व हिन्दू उतराधिकार से संबंधित संकल्पनाओं व कानून के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हैः—

    1. *हिन्दू संयुक्त परिवार एवं संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    2. *पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    3. *सहदायिकी एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

4. *सहदायिकी संपति में सहदायक के अधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की संकल्पना/अवधारणा।*
6. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
7. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा।*
8. *सहदायिकी संपति के अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा।*
9. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण किये जाने पर क्रेता के कर्तव्य की संकल्पना/अवधारणा।*
10. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण के विरूद्ध सहदायक को उपलब्ध विकल्प/उपचार की संकल्पना/अवधारणा।*

24. प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी परिवार के सदस्य का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी पुरूष, उनकी पत्नियां, माताएं एवं अविवाहित पुत्री शामिल होती है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल अविवाहित पुत्री का विवाह होते ही वह पति के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बनकर शामिल हो जाती है तथा पिता के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो जाती है।*
4. *हिन्दू विधि में बिना संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति के भी संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व में आ सकता है।*
5. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के आधार पर एकता में बंधे रहते है।*
6. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के साथ—साथ भोजन एवं पूजा में भी एकता में बंधे रहते है।*
7. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
8. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
9. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में परिवार के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर परिवार को आगे बढाया जा सकता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

10. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति पर एक का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में संपति पर कब्जे के आधार पर एकता रहती है।*
11. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में से कोई सदस्य कभी भी विभाजन करवाकर पृथक हो सकता है। इस प्रकार सदस्य के पृथक होने पर वह संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं रहती है।*
12. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। जिनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है परंतु छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई अपना प्रबंधन पृथक करती हैं।*

25. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा सजरा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू होने के कारण सभी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के पूर्वज गंगा के छः पुत्र गुणेशा, पुनमा, सोना, चेना, प्रभु व अर्जुन थे। सोना पुत्र गंगा के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 01–03 है। गंगा के छ पुत्र अपने अपने परिवार के द्वारा छः लघुतर पारिवारिक इकाईयों का निर्माण करते है। इस प्रकार गंगा का परिवार एक वृहत पारिवारिक इकाई है। जिसमें छः लघुतर पारिवारिक इकाईयां समाहित है। इन छः पारिवारिक इकाईयों में से एक इकाई साना पुत्र गंगा का परिवार है। सोना पुत्र गंगा की मृत्यु के पश्चात् वारिसान पुत्रीयां केसी, कसुम्बी व पुत्र भारू तथा पत्नी हाउ परिवार की इकाई का निर्माण करते है। प्रकरण में अन्य प्रतिवादी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विशेष व स्पष्ट खंडन नहीं किया है।

26. इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में वादी द्वारा सजरा प्रस्तुत किये जाने व साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं करने तथा गवाहों के प्रतिपरीक्षण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विरोधस्वरूप अभिकथन स्पष्ट नहीं होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य माना जाना उचित प्रतीत होता है।

27. अब प्रकरण में सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने के पश्चात धारा—8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम—2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

28. हिन्दु विधि में सहदायिकी संपति में पैतृक आराजी, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति एवं पैतृक संपति से उत्पन्न आय से हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा क्रय की गई संपति शामिल होती है। सहदायिकी संपति की वृहत संकल्पना के निम्न अवयव होते हैः–

1. *सहदायिकी या हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी अनिवार्य रूप से सहदायक संपति में निहित रहती है।*
2. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की स्वअर्जित संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अन्य स्रोत यथा–वसीयत, दान व पैतृक आराजी के अतिरिक्त विरासत से प्राप्त संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति से उत्पन्न आय से खरीद की गई संपति आवश्यक रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति को नुकसान पहुचाते हुए किसी सदस्य द्वारा खरीद की गई संपति अनिवार्य रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*

29. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 की पैतृक संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

30. साथ ही विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 की संपति प्राप्तकर्ता सोना पुत्र गंगा के वारिसान वादीगण है। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति प्रतिवादी संख्या 01 के प्रथम पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त संपति को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के रूप में धारित किया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति प्रतिवादी संख्या 01–03 के प्रथम पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 की पैतृक संपति माननना विधिसंगत है।

31. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इससे पहले प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में सभी सदस्यों का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूष शामिल होते है।*
3. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम—2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है।*
4. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूषों का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है।*
5. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र का पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में कोई सहदायक बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
7. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व माना जाता है।*
8. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान कब्जा माना जाता है।*
9. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में कोई सहदायक बिना अन्य सहदायकों की सहमति के बिना कोई विधिक आवश्यकता के अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
10. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में सहदायक की मृत्यु पर सभी सहदायकों का हिस्सा बढ जाता है। इसी प्रकार सहदायिकी संपति में सहदायक के जन्म पर सभी सहदायकों का हिस्सा घट जाता है। इस प्रकार सहदायिकी संपति में किसी भी सहदायक का हिस्सा निश्चित नहीं होकर सहदायिकी में सदस्यों के जुड़ने व हटने पर परिवर्तित होता रहता है।*
11. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में किसी एक सहदायक द्वारा अपना अधिकार/हक त्यागने पर बाकी अन्य सहदायकों के पक्ष में समान अधिकार सृजन माना जाता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

12. *हिन्दू विधि में सहदायिकी विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में सहदायिकी का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
13. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
14. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में सहदायिकी के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर सहदायिकी को आगे बढाया जा सकता है।*

32. अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 के एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–03 उक्त सहदायिकी में सहदायक होना स्पष्ट है।

33. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की इकाई तथा संबंधित ईकाई द्वारा धारित हिन्दू संयुक्त परिवार संपति व सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्त्ता की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः–
    1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक–पृथक कर्ता हो सकते है।*
    4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।*

34. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–
    1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।

2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
    - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
    - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
    - *धर्मार्थः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।*

35. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के नाबालिक सहदायक के संबंध में प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*

36. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति में कर्ता के अधिकार की अवधारणा से प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में सोना पुत्र गंगा की मृत्यु के पश्चात एकमात्र पुरूष होने के कारण सोना पुत्र गंगा की पारिवारिक इकाई का मुखिया भारू पुत्र सोना प्रतीत होता है। इस संबंध में वादीगण भारू पुत्र सोना के अपने पारिवारिक इकाई के कर्ता नहीं होने के संबंध में कोई खंडन नहीं करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। इस आधार पर भारू पुत्र सोना के अपने लघुतर पारिवारिक ईकाई के कर्ता माना जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

37. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
        - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
        - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
        - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

38. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
    2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
    3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
    4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

39. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार/दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*

40. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन/अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प/उपचार उपलब्ध है।

41. हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को किया गया अंतरण अपने हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में निष्पादित किया गया है। अब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

42. इस संबंध में प्रदर्श–05 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 भारूराम ने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पैतृक आराजी को बेचने का निर्णय लिया। विक्रेता भारू वल्द सोना ने अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु रूपयों की जरूरत होने के लिए संपति का बेचान किए जाने बाबत् प्रदर्श–05 पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 में स्पष्ट अभिकथन किया है। इस प्रकार भारू पुत्र सोना द्वारा पड़ोसी गांव सिंधासवा चौहान के निवासी प्रतिवादी संख्या 13 को उक्त आराजी संपति को बेचने की पेशकश की। प्रतिवादी संख्या 13 को घर पर मुतनाजा आराजी के अंतरण के सौदे के समय हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता भारू पुत्र सोना को उक्त अंतरण हेतु विधिक आवश्यकता की जानकारी होने पर ही तथा स्वयं भारू पुत्र सोना द्वारा संपति का अंतरण करने की पेशकश करने पर उक्त संपति के अंतरण हेतु विधिक आवश्कता की जानकारी होना प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व की गई जानकारी के संबंध में किये गये उक्त कार्यकरण से प्रतीत होता है कि मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में जानकारी कर अपने उपर आरोपित दायित्व को पूर्ण किया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व का निर्वहन किया जाना साबित करने में सफल रहा है।

43. इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 13 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 पर बाध्यकारी है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 को वादीगण साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

44. इस संबंध में द्वितीय अनुतोष के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय अनुतोष निम्न प्रकार हैः–

> 2. *प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 02.12.2020 वादीगण के अधिकारों के प्रति आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बयनामा दिनांक 02.12.2020 के आधार पर फैसल किये गये नामांतरकरण संख्या 2075 दिनांक 20.07.2011 को निरस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 02.12.2020 का नाम कलमजन किया जावे।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

45. द्वितीय अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। अनुतोष संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 द्वारा किये गये अंतरण को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने को लेकर है। प्रकरण में अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय व आरंभ से शून्य होने तथा राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर विधि की स्थिति को समझना आवश्यक है।

46. किसी विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार निहित होने व विवादित संपति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई हैः—

    1. *पंजीकृत दस्तावेज के आरंभ से शून्य होने की स्थिति में राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही पंजीकृत दस्तावेज के शून्यकरणीय होने की स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*
    2. *अगर वादपत्र में विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का मुख्य अनुतोष है तथा अन्य अनुतोष आनुषांगिक है उस स्थिति में केवल सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*
    3. *अगर वादपत्र में विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा का अनुतोष मुख्य अनुतोष है तथा विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने का आनुषांगिक अनुतोष है उस स्थिति में केवल राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है।*

47. इसी प्रकार विवादित संपति का पंजीकृत दस्तावेज द्वारा अंतरण किए जाने की स्थिति में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मध्य संशय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए निम्न प्रकार कानूनन स्थिति स्पष्ट की गई हैः—

    1. *राजस्व न्यायालय से विवादित संपति पर खातेदारी अधिकार की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात ही विवादित संपति के अंतरण के पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।*

48. इस संबंध में विधि की स्पष्ट स्थिति के अनुसार राजस्व न्यायालय उक्त अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम है। परंतु प्रकरण में अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध साबित होने के कारण वादीगण पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने में असफल रहे है। इस कारण अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विपरीत साबित होने के कारण परिणामस्वरूप अनुतोष संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

49. निष्कर्षतः पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए सहदायिकी संपति का अंतरण किये जाने को उचित एवं विधिसंगत मानना न्यायालय उचित समझता है। इस आधार पर वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति के अंतरण से वादीगण को बाध्य होना न्यायालय उचित समझता है। इस आधार पर वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक न्यायालय नहीं पाता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक नहीं होने तथा वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति के अंतरण से वादीगण को बाध्य होने के कारण वादीगण का दावा खारिज किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 07.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2021/63(29/2021) दर्ज तिथिः–01.03.2021

1. कुसुम्बीदेवी पुत्री सोना पत्नी शिवजीराम
   निवासी हेराज का गोल तहसील गुड़ामालानी हाल निवासी मूढसर कोठाला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. भारू पुत्र सोना के कायम मुकाम
   हेमीदेवी पत्नी भारू
   जाति भांभी निवासी हेराज का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. केसी पुत्री सोना पत्नी वीराराम
   जाति भांभी निवासी डावल तहसील सांचौर
3. हाउ पुत्री सोना पत्नी नेताराम
   जाति भांभी निवासी मुढसर कोठाला तहसील धोरीमन्ना
4. दीपाराम पुत्र पूनमाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1 लेहरो पुत्री दिपा
   4/2 चुन्नी पुत्री दिपा
   4/3 शांति पुत्री दिपा
   4/4 ओमी पुत्री दिपा
5. गोकलाराम पुत्र पुनमाराम
6. देवाराम पुत्र चैनाराम
7. भवराराम पुत्र चैनाराम
8. मगाराम पुत्र चैनाराम
9. नैनाराम पुत्र चैनाराम
10. परभू पुत्र गगाराम
11. अरजन पुत्र गंगाराम
12. बाका पुत्र गुणेशा फौत के कायम मुकाम
    12/1 लिखमा पुत्र बाका
    12/2 खरता पुत्र बाका
    12/3 ममता पुत्री बाका
    12/4 प्रकाश पुत्र बाका
    12/5 केली पुत्री बाका
    12/6 अणछी पुत्री बाका
    12/7 नोजी पुत्री बाका
    जाति मेगवाल निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

13. मोहनराम पुत्र नेताराम
जाति मेगवाल निवासी मूढसर कोठाला तहसील धोरीमन्न जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

14. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे विलय हाल एसबीआई गुड़ामालानी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीः—श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक नहीं होने तथा वादीगण का पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति के अंतरण से वादीगण को बाध्य होने के कारण वादीगण का दावा खारिज किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.28 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested